न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 30 / 2026
ऑनलाईन नम्बर 2026 / 59

निर्णय दिनांक 21.05.2026

तोलसिंह पुत्र रेवन्तसिंह जाति पुरोहित निवासी भोजास तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

—वादी—

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भूराजस्व श्रीडूंगरगढ।

—प्रतिवादी—

—उपस्थितिः—

1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी।
2. पैरोकारराज स्टेट की ओर से।

वाद अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 भू—राजस्व अधिनियम

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी की और से वादपत्र निम्न आधारो पर सादर प्रस्तुत है कि वादी के संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 7.8500 हैक्टेयर रोही भोजास में स्थित है जिसमें वादी का नाम तोलसिंह की जगह मोहनसिंह दर्ज कर दिया जबकि वादी का वास्तविक नाम तोलसिंह था वादी का नाम बिना जांच किये ही वादी का नाम मोहनसिंह लिख दिया जबकि वादी का नाम तोलसिंह दर्ज होना चाहिए था। उक्त खेतों पर वादी का कब्जा—काश्त एंव उपयोग उपभोग चला आ रहा है। वादी ने बैंक से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाकर बैंक में आवेदन किया तब बैंक ने राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादी से पहचान के सबूत मांगे एवं वादी का नाम सही नही होने से वादी को बैंक ने ऋण देने से इनकार कर दिया वादी के पहचान पत्र राशन कार्ड एवं शिक्षा के दस्तावेज तोलसिंह नाम से बने हुए है जिससे बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड बनाने से इनकार कर दिया एवं कहा कि राजस्व रिकार्ड में नाम सही करवाने पर ही लोन दिया जायेगा तब वादी ने प्रतिवादी से राजस्व रिकार्ड में नाम अपने पहचान पत्र के अनुसार करने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया। वादी के पिता की विरास्त की भूमि है जो वादी को विरास्त में प्राप्त हुई है वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम तोलसिंह की जगह मोहनसिंह दर्ज कर दिया है जिसको वादी सही करवाने का अधिकारी है। वादी के खेत के राजस्व रिकार्ड में बादी के नाम के वादी का नाम पहचान के दस्तावेजों के विपरीत होने से कई तरह की परेशानिया आती है एवं वादी अपने खेत पर केसीसी बनाने एवं सरकार की विभिन्न योजनाओ का लाभ उठाने से वचिंत हो रहा है जिससे वादी अपने खेत को विकसित करने से वचित है। वादी अपने के पहचान के सबूत में तोलसिंह होने से वादी अपने खेत के राजस्व रिकार्ड में अपना सही नाम तोलसिंह दर्ज करवाने का अधिकारी है। वादी ने अपने खेत पर केसीसी के लिये राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो वादी को पता चला कि वादी का नाम मोहनसिंह दर्ज है जिसको सही करवाने के लिए प्रतिवादी से सम्पर्क किया तो प्रतिवादी ने नाम सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी के इन्कार करने के दिन से ही वादी को वाद हेतु हासिल है । वादी ने उक्त दावा में राजस्थान

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

सरकार को पक्षकार संयोजित किया गया है स्टैट के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व दो माह का नोटिस दिया जाना आवश्यक है स्टैट को दो माह का नोटिस दिया जाकर दो माह का इन्तजार किया जाता है तो केसीसी का सीजनल समय निकल जायेगा और वादी को अपूरणीय क्षति होगी । उक्त दावा में स्टैट के विरूद्ध कोई अपेक्षित अनुतोष नही मागा गया है स्टैट द्वारा राजस्व रिकार्ड का संधारण एवं रिकार्ड में संशोधन किया जाता है इसलिए स्टैट को पक्षकार संयोजित किया गया है। वादगत खेत रोही भोजास के घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती का है जिसका श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार श्रीमान् हाजा न्यायालय को प्राप्त है। वादी का दावा पूर्ण न्याय शुल्क एवं समयावधि के अन्दर मियाद प्रस्तुत है अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार से आदेश फरमानें की कृपा करें।

(क) कि वादी संयुक्त खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 7.8500 हैक्टेयर रोही भोजास में मोहनसिंह की जगह तोलसिंह घोषित किया जावें।

(ख) कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वादी खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 7.8500 हैक्टेयर रोही भोजास में मोहनसिंह की जगह तोलसिंह दर्ज कर राजस्व रिकार्ड में सशोधन करें ।

(ग) कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें ।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी स्टेट को जरिये सम्मन तलब किया गया। स्टेट की ओर से पैरोकारराज द्वारा जवाबदावा पेश किया गया। वाद में विवाद्यक बिन्दु नहीं होने के कारण तनकीहात कायम नहीं की गई। वादी की ओर से साक्ष्यवादी PW-1 में स्वयं का शपथ पत्र पेश किया गया। वादी के बयान लेखबद्ध किये गये व वादी द्वारा दस्तावेज प्रदर्श करवाये गये। जिरह पैरोकारराज शून्य। बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। संक्षेप में स्टेट को वादी वाद स्वीकार करने में आपत्ति नहीं होने व वादी का वाद स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 7 तादादी 7.8500 हैक्टेयर रोही भोजास के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम "मोहनसिंह" के स्थान पर "तोलसिंह" घोषित किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश दिया जाता है। तहसीलदार श्रीडूंगरगढ तदनुसार पालना सुनिश्चित करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(शुभम शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ